

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 641]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 23, शक 1942

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-281/गृह-सी/2014. — छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-281/गृह-सी/2014, दिनांक 07 दिसंबर, 2019 में वृद्धि करते हुए जनहित क्रांति पार्टी को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है.

यह अधिसूचना दिनांक 10 दिसंबर, 2020 से एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन.डी. कुंदानी, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ-4-281/गृह-सी/2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 09-12-2020 का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन.डी. कुंदानी, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 9th December 2020

NOTIFICATION

No.F-4-281/Home-c/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006), the State Government hereby, extends the notification of this Department No. F-4-281/Home-c/2014, dated 07 December, 2019 and declares Janhit Kranti Party Organisation as Unlawful Organisations for a Further period of one year.

This Notification will remain in force for one year in Chhattisgarh with effect from 10 December, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
N.D. KUNDANI, Joint Secretary.